

दैनिक जयन्त
स्थापित : 1979
संस्थापक
स्वा० श्री नरेन्द्र उनियाल
वर्ष-45, अंक 87
कोटद्वारा शनिवार
22 जुलाई 2023, पृष्ठ-8

गढ़वाल जनपद का प्रथम दैनिक

जयन्त

निर्भीक-निष्पक्ष-जनसरोकार

खबर बड़ी होती है,
अखबार नहीं

दैनिक जयन्त

www.dainikjayantnews.com

मूल्य-2 रुपये

ज्ञानवापी परिसर का
होगा एसआई सर्व,
जिला अदालत में हिंदू
पक्ष का आवेदन मंजूर

वाराणसी, एजेंसी। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वर्षस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। जज डॉ. अंजय कृष्ण विशेष की अदालत ने मां श्रुंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वज्रखुने को छोड़कर बैरिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेषण (एसआई) से रडार तकनीक से सर्वे करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि एसआई बताए कि किस तरह से और कैसे सर्वे होगा कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरह का उक्सान न हो। सर्वे के संबंध में पूरी तैयारी के साथ एसआई चार अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि अदालत ने चार अगस्त नियत की है।

अदालत में हिंदू पक्ष की चार वादियों रेखा पाटक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साह की तरफ से बोते 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वज्रखुना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंजिनियरिंग मासिकों द्वारा नियत की आपत्ति की थी। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। तब कोटे ने आदेश के लिए पत्राकाली सुरक्षित रखने हुए सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि तय की थी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की पैरवी के लिए सरकारी वकील नियुक्त, आदेश जारी

पूर्व में सरकारी वकील कर रहे थे मामले की पैरवी, स्वजनों ने लगाया था कमज़ोर पैरवी का आरोप

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारा : अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी की इच्छा से नए वकील की नियुक्ति की है। इस संबंध में शासन ने अदेश जारी किए हैं। सरकार ने इस मामले में सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) अंकिता के पिता की परसंद का नियुक्त किया गया था। पूर्व में अंकिता हत्याकांड में सरकारी वकील चौहान को पत्र लिखकर इच्छा जताई कि वह इस मामले में अवनीश नेगी पूर्व डीजीसी विभिन्न कानूनों को विशेष लोक अभियोजन की ओर से जिस अधिकारी को सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, लेकिन अंकिता के परिजनों ने सरकारी वकील पर अरोप लगाया था कि वह अदालत में मामले की कमज़ोर पैरवी कर रहे हैं, जिसके बाद अब वकील बदल दिया गया।

अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी की इच्छा से नए वकील की नियुक्ति की है। इस संबंध में शासन ने अदेश जारी किए हैं। सरकार ने इस मामले में सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) अंकिता के पिता की परसंद का नियुक्त किया गया था। पूर्व में अंकिता हत्याकांड में सरकारी वकील चौहान को पत्र लिखकर इच्छा जताई कि वह इस मामले में अवनीश नेगी पूर्व डीजीसी विभिन्न कानूनों को विशेष लोक अभियोजन की ओर से जिस अधिकारी को सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, लेकिन अंकिता के परिजनों ने सरकारी वकील पर अरोप लगाया था कि वह अदालत में मामले की

कमज़ोर पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद 19 जुलाई 2022 को अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान को पत्र लिखकर इच्छा जताई कि वह इस मामले में अवनीश नेगी पूर्व डीजीसी विभिन्न कानूनों को विशेष लोक अभियोजन की ओर से जिस अधिकारी को सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, लेकिन अंकिता के परिजनों ने सरकारी वकील पर अरोप लगाया था कि वह अदालत में मामले की

वें इस मामले की अदालत में पैरवी कर रहे हैं। बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर विंग धार्मी शुरू से एकशन मोड में नजर आए। पहले मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री धार्मी ने इस मुकदमे को गजट्स पुलिस से रेगुलर पुलिस को जिलाधिकारी ने इस पत्र को शासन ने अंकिता के पिता के लिए विज्ञानों के साथ अधिभावक की तरह खड़े रहे और परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सरकार की ओर से तत्काल एसआई

फाइल फोटो अंकिता भंडारी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और फिर बाद में 22 सितंबर को इस मामले के नियमित पुलिस के हवाले किया गया था। फिलहाल इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और केस कोर्ट में है।

यह था पूरा मामला

अंकिता भंडारी बनंतारा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट थीं। अंकिता को आखिरी बार पुलिकित आये के साथ रिसोर्ट में 18 सितंबर 2022 को देखा गया था, जबकि उनका शब्द छह दिन बाद 24 सितंबर को चिल्ड्रन पावर हाउस के पास शक्ति नहर से पुलिस ने बरामद किया था। इस दौरान मुख्य आरोपी पुलिकित ने खुद को पाक-साफ दिखाने के लिए राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदारी की रिपोर्ट भी लज़ कराई थी। अंकिता के परिवार वालों का आपेक्षा था कि इस मामले में राजस्व पुलिस पहले अंकिता की गुमशुदारी की रिपोर्ट को आपेक्षा था कि इस मामले में राजस्व पुलिस पहले अंकिता की गुमशुदारी की रिपोर्ट को आपेक्षा था। फिलहाल इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और केस कोर्ट में है।

गठित की गई। विषय के अंतर्गत वालों का आपेक्षा था कि जिसे हाईकोर्ट ने एसआई के बजाय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दायर की। जिसे हाईकोर्ट ने एसआई के बजाय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दायर की। जिसे हाईकोर्ट ने एसआई के बजाय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दायर की। जिसे हाईकोर्ट ने एसआई के बजाय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दायर की।

पौड़ी जिले में गुलदार ने महिला को बनाया अपना निवाला



पौड़ी। जिले के रिखांगीखाल विकास खंड के गांव निवासी ग्रामीण महिला को गुलदार ने हमला कर मार डाला। महिला ख्यालाकार के नजदीक जंगल में घास लेने गयी थी इस घटना से इस इलाके में दहशत फैल गयी। गौतमलव है कि कार्बेट टाइपर रिजर्व से सटे इस इलाके में बाय खुलाए आम घूमे लगे हैं। बायों ने ग्रामीणों को निवाला भी बनाया। बाय व गुलदार की दहशत से कई दिन स्कूल भी बद करने पड़े। स्थानीय विधायक दिलीप रावत सरकार से कई बार ग्रामीणों की सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं।



IHMS KOTDWAR

Institute of Hospitality, Management & Sciences

Admissions Open 2023

"Journey Towards Excellence"

AVAILABLE PROGRAMMES

M.B.A. 2 Years

FIRST AICTE APPROVED COLLEGE IN REGION

B.H.M.

4 Years

B.Sc. IT

3 Years

B.B.A.

3 Years

B.C.A.

3 Years

C.H.M.

1 Year

- Attractive Scholarships
- Industrial Tour

- Value Added Courses @ 0% cost
- Internship in Leading Companies

Mob.: 7902000023, 8057726863

Balbhadrapur, B.E.L. Road, Kotdwar-246149(UK)

Email: Info@ihms.ac.in, ihmskotdwar1@gmail.com | Web: www.ihms.ac.in

17 Years
of Excellence
in Education
ESTD. 2006
ISO 9001-2015 Certified

